आरोपियों ने की फर्जी पुलिस छापेमारी

खुद को पुलिस के जवान बताकर बीमा एजेंट से लूटपाट के आरोप में आठ लोग पकड़े

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

खुद को दिल्ली पुलिस के जवान बताकर लक्ष्मी नगर स्थित एक बीमा कार्यालय के मालिक पर हमला करने, उसे धमकाने और जबरन वसूली करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी पुलिस छापेमारी की और बीमा धोखाधड़ी की फर्जी बात कहकर जांच किए जाने के बहाने शिकायतकर्ता से रुपये लूटे तथा कीमती सामान हड़प लिया। इस मामले में पीड़ित के पूर्व कर्मचारी रह चुके हनी कुमार (31) के अलावा कैब चालक सनी शर्मा (28) और अंकित जैन (32) आरोपी हैं। अन्य लोगों में बेकरी सुपरवाइजर विक्रम सिंह (35), डेटा विश्लेषक राहुल गुप्ता (27), जिम ट्रेनर राहुल यादव (27), अनिल कांत (33) और जीतपाल (42) शामिल हैं। अनिल और जीत प्रॉपर्टी डीलर हैं।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया ने बताया 26 जून को दिल्ली पुलिस की विशेष टीम के सदस्य बनकर चार लोग लक्ष्मीनगर में बीमा पॉलिसी का कार्य करने वाले सलमान (31) के कार्यालय में घुसे। आरोपियों ने कथित तौर पर उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप छीना और उसे जबरन कार में ले गए। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बताया कि सलमान पर कथित तौर पर हमला किया गया और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे 70 हजार रुपये एक खाते में स्थानांतरित करने के लिए दबाव बनाया गया तथा 80 हजार रुपये नकद भी वसूल लिए गए। लक्ष्मी नगर थाने में 28 जून को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और टीम ने उसी रात पांच आरोपियों को उस समय पकड़ लिया जब वे अपराध में इस्तेमाल की गई उसी कार में नोएडा लिंक रोड पर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों से उनके तीन अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान पता चला कि लूट की साजिश सलमान के पूर्व कर्मचारी हनी कुमार ने रची थी, जिसने घटना से दो सप्ताह पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। उसने कथित तौर पर सनी शर्मा को अंदरूनी जानकारी दी, जिसने फर्जी छापेमारी की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि सनी को गाजियाबाद में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी अंकित जैन पर पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि हनी कुमार व्यक्तिगत रंजिश रखता था और उसने अपराध की साजिश रचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी थी।

रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर किराया बढ़ाया सुविधाएं नगण्य, गरीबों की बढ़ी परेशानी: देवेंद्र

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रेल के किराए बढ़ाने पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर किराया बढ़ाने से राहत नहीं लोगों की मिलती। किराया तो बढ़ाया लेकिन सुविधाएं अभी भी नगण्य है जिनके चलते गरीबों की रेल यात्रा करने में परेशानियां बढ़ेगी। यादव ने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार बताएं कि क्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर और किराए में बढ़ोतरी करने से गरीब व मजदूर यात्रियों की मुसीबतें कम होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए लिखे गए पत्र पर यादव ने कहा कि अच्छा होता सुविधाएं बढ़ाने व गरीबों को लाभ देने के लिए लिखती। अच्छा होती कि सीएम रेखा केंद्र सरकार को लिखती कि आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। लेकिन भाजपा से गरीबों की भलाई की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। यादव ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने आज एक जुलाई 2025 से रेल टिकट की दरों में बढ़ोत्तरी करके गरीब और जरुरतमंद देशवासियों की जेब पर सीधा असर डाला है। रेलवे टैरिफ बढ़ोतरी करके वित्त वर्ष में 92 हजार 820 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व वसूला जाएगा।

उत्तर रेलवे

खुली निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल अभियंता/प्रथम, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्य के लिए ई–टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1.	**कार्य का नाम : 1. सहायक मंडल अभियंता/पानीपत** के तहत एसएसई/डब्ल्यू/**पानीपत** के DUK सेक्शन पर पुल संख्या 98, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 129, 133, 135, 142, 143, 145, 151, 152, 154, 156A और 157 के लिए मौजूदा आर्क/ह्यूम पाइप छोटे पुलों का प्रतिस्थापन RCC बक्सों के आकार 2.00x1.35 मीटर द्वारा धकेलने की पद्धति से। **2.** सहायक मंडल अभियंता/ करनाल के अधीन पत्थर की चट्टानों की आपूर्ति, ढेर लगाना और बिछाना।	
2.	**अनुमानित लागत : 1.** रु. 39611945.05/- **2.** रु. 4990936.03/-	
3.	**धरोहर राशि : 1.** रु. 348100/- **2.** रु. 99800/- (यह नेट बैंकिंग या केवल भुगतान gate way के रूप में होना चाहिए। **नोट**:– एफ.डी.आर या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी. स्वीकार नहीं की जाएगी। (रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/सीई–1/सीटी/5/1 दिनांक 31.08.2016) के अनुसार आई.आर.ई.पी.एस. पर आमंत्रित निविदा के लिए।	
4.	**समापन अवधी : 1.** 12 महीने **2.** 03 म्हीने	
6.	**ई–निविदा खोलने और प्रस्तुत करने के लिए दिनांक और समय**	25.07.2025 को 15:00 बजे तक प्रस्तुत करने तथा निविदा खुलने का समय दिनांक 25.07.2025 को 15:00 बजे।
7.	**निविदा की वेबसाइट जहां निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है**	**www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।
8.	**सामान प्रकार के कार्य**	1. किसी भी पुलों / सीमित ऊंचाई की उपरिगामी सबवे का निर्माण एयर पुशिंग कट और कवर विधि से।

नोट :– शपथ पत्र संलग्नक–XXIV अनिवार्य रूप के रूप में निविदा शर्तों के साथ संलग्न नए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और सभी संलग्न दस्तावेज निविदाकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित किया जाना चाहिए। **पत्र संख्या :– 128–डब्लू/280/निविदा सूचना/25–26/डब्लू–I (NIT-21-22) दिनांक :– 30.06.2025** **1979/2025**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

दिल्ली पुलिस ने लापता 168 लोगों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलाया

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अपने ऑपरेशन मिलाप के तहत 53 बच्चों और 115 वयस्कों सहित 168 लापता लोगों का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने समन्वित अभियान चलाया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक जून से 30 जून तक ऐसे 13 अभियान चलाए गए। इस अभियान में कापसहेड़ा, सागरपुर, पालम गांव, वसंत कुंज दक्षिण, किशनगढ़ और अन्य थानों की टीम शामिल थीं। पुलिस की कई टीम ने इस ऑपरेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्थानीय लोगों से पूछताछ की, परिवहन केंद्रों पर बस चालकों, परिचालकों, विक्रेताओं और स्थानीय मुखबिरों से जानकारी ली। अधिकारी ने बताया कि कापसहेड़ा पुलिस ने लापता हुए पांच बच्चों और 28 वयस्कों को ढूंढ लिया जबकि, सागरपुर पुलिस ने 10 बच्चे और 20 वयस्क तथा पालम गांव पुलिस ने चार बच्चे और 20 वयस्कों को ढूंढ लिया। अधिकारी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार वसंत कुंज दक्षिण ने तीन लड़कियां और 10 वयस्क, किशनगढ़ पुलिस ने आठ बच्चे और तीन वयस्क तथा सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस ने एक लड़के और 10 वयस्कों को ढूंढ लिया। दिल्ली पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई (एएचटीयू) ने लापता हुए 11 बच्चों का पता लगाया, वसंत विहार पुलिस ने छह नाबालिग लड़कियों और तीन महिलाओं का पता लगाया तथा आरके पुरम पुलिस ने लापता नौ लोगों का पता लगाया। दिल्ली कैंट पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों और चार वयस्कों को, वसंत कुंज उत्तर पुलिस ने एक लड़की और चार अन्य को, सरोजिनी नगर पुलिस ने एक लड़की और तीन वयस्कों को तथा साउथ कैंपस पुलिस ने एक महिला का पता लगाया। अधिकारी ने बताया कि इस साल एक जनवरी से अब तक दक्षिण-पश्चिम जिले में लापता कुल 521 लोगों (149 बच्चों और 372 वयस्क) का पता लगाया गया है।

बुरारी मौतें: सात साल बाद चूंडावत परिवार के बारे में अब भी लोगों में है जिज्ञासा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में सात साल पहले एक जुलाई, 2018 को जिस घर में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की रहस्यमय मौत हो गयी थी, उसके आस-पड़ोस में लगता है कि जनजीवन सामान्य हो चला है, कोचिंग सेंटर और दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं। लेकिन कभी सुर्खियों में रहे इस मकान में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है और वहां से गुजरने वाले लोग उसके बारे में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। लगभग दो दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे इस्त्री दुकान के कर्मचारी मदन ने कहा कि कभी-कभी विद्यार्थी, विशेषकर पास के शिक्षण संस्थानों की लड़कियां, इमारत की ओर इशारा करती हैं, एक पल के लिए रुकती हैं, आपस में फुसफुसाकर बातें करती हैं, डर जाती हैं और फिर चली जाती हैं। चूंडावत परिवार के 11 सदस्यों में से 10 छत में लगे लोहे के जाल से फांसी पर लटके मिले थे, जबकि परिवार की मुखिया 77 वर्षीय नारायण देवी का शव घर के दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ा था। देवी की बेटी प्रतिभा (57) और दो बेटे भवनेश (50) और ललित (45) मृतकों में शामिल थे। भवनेश की पत्नी सविता (48) और उनके तीन बच्चे मेनका (23), नीतू (25) और धीरेंद्र (15) भी मृत पाए गए। ललित की पत्नी टीना (42) और उनका 15 वर्षीय बेटा दुष्यंत भी जान गंवाने वालों में शामिल हैं। प्रतिभा की बेटी प्रियंका भी फांसी पर लटकी पाई गई। उसकी जून 2018 में सगाई हुई थी। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक इस मामले को सुलझाने के लिए तंत्र-मंत्र, मनोविज्ञान, अंधविश्वास समेत हर पहलू पर हाथ आजमाया और नवीनतम जांच तकनीकों का इस्तेमाल किया। मामले की जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब शव मिले तो जिला पुलिस ने शुरू में हत्या का मामला दर्ज किया। हालांकि, जब परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई तो कोई मकसद सामने नहीं आया। फिर रजिस्टर खोले गए और धीरे-धीरे रहस्य से पर्दा उठने लगा। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण मामला था, क्योंकि अधिकारियों को आठ रजिस्टरों को देखना पड़ा, जिनमें 11 वर्षों की अवधि में की गई विस्तृत प्रविष्टियां शामिल थीं।

प्रपत्र जी

नई दिल्ली में ''स्वयं की अथवा लीज पर ली हुई सम्पत्ति के साथ रियल एस्टेट गतिविधियां'' में प्रचालन कर रही विक्टर बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड लिमिटेड हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के लिए आमंत्रण

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया) नियमनों, 2016 के नियमन 36ए के उप-नियमन (1) के तहत]

क्र.सं.	सम्बद्ध विवरण	
1.	कॉर्पोरेट कर्जदार के नाम सहित पैन और सीआईएन/एलएलपी नं.	**CD -** विक्टर बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड **PAN No. -AACCV2844A CIN No. -** U70109DL2006PTC151000
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	**पंजीकृत कार्यालय :** वाईसी को-वर्किंग स्पेस, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 94, द्वारका, सेक्टर-13, मेट्रो स्टेशन के सामने, निकट रेडिसन ब्लू होटल, एन.एस.आई.टी. द्वारका, नई दिल्ली - 110078 **पता जहाँ खाते की बही मेंटेन की जानी है** 6वां तल, प्लॉट नं. 14ए, सेक्टर-18, मारुति इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम, हरियाणा-122015
3.	वेबसाइट का यूआरएल	**https://ipvictorbuildwel.com/**
4.	स्थान जहां फिक्सड असैट्स की बहुलता स्थित है, का विवरण	कार्पोरेट कर्जदार के पास प्लॉट नं. 78 और 79, पॉकिट-1, सेक्टर इकोटेक-1 (एल.टी. पार्क), ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एरिया, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
5.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं की स्थापित क्षमता	एन.ए.
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	एन.ए.
7.	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या	उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, कोई कर्मचारी / कामगार नहीं है।
8.	दो वर्ष के अन्तिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों सहित), क्रेडिटर्स की सूचियां समेत अधिक विवरण यूआरएल पर उपलब्ध हैं :	कॉर्पोरेट कर्जदार अथवा किसी अतिरिक्त जानकारी के बारे में अधिक विवरण उपलब्ध करवाई गई ई-मेल ip.victorbuildwel@gmail.com के माध्यम से प्रस्ताव पेशेवर से प्राप्त की जा सकती है।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध है :	जानकारी ई-मेल ip.victorbuildwel@gmail.com के माध्यम से प्रस्ताव पेशेवर से प्राप्त की जा सकती है।
10.	रुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अन्तिम तिथि	17-07-2025
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतरिम सूची जारी होने की तिथि	27-07-2025
12.	अंतरिम सूची के लिए आपत्तियां जमा करवाने हेतु अन्तिम तिथि	01-08-2025
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अन्तिम सूची के जारी होने की तिथि	11-08-2025
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजनाओं के लिए आग्रह और मैमोरेंडम, मूल्यांकन मैट्रिक्स जानकारी जारी होने की तिथि	16-08-2025 (पात्र पीआरएएस द्वारा गैर-घोषणा एग्रीमेंट की प्राप्ति के अधीन)
15.	प्रस्ताव योजनाओं को जमा करवाने हेतु अन्तिम तिथि	15-09-2025
16.	रुचि की अभिव्यक्ति जमा करवाने के लिए प्रक्रिया ई-मेल आईडी	**ip.victorbuildwel@gmail.com**
17.	एमएसएमई के तौर पर कॉर्पोरेट कर्जदार के पंजीकरण स्तर का विवरण	कार्पोरेट कर्जदार सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत है (उद्यम पंजीकरण संख्या - UDYAM-DL-10-0067128)

इसके अतिरिक्त, कार्पोरेट कर्जदार की वेबसाइट पर https://ipvictorbuildwel.com/ पर उपलब्ध रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रक्रिया दस्तावेज देखें अथवा सम्बद्ध तिथियों और विस्तृत रूचि की अभिव्यक्ति के लिए ip.victorbuildwel@gmail.com को एक ई-मेल भेजें।

हस्ता/-
कृते विक्टर बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड
विजय मुरमुरिया, प्राधिकृत दिवालियापन पेशेवर
सुमेधा मैनेजमेंट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
विक्टर बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड का प्रस्ताव पेशेवर
IBBI Regn. No.: IBBI/IPE-0020/IPA-1/2022-23/50023
AFA: AA1/50023/02/311225/20042 (Valid upto 31-12-2025)
पत्राचार पता और आईबीबीआई के पास पंजीकृत पता :
2बी, गीतांजलि अपार्टमेंट, हबी मिडलटन स्ट्रीट
कोलकाता-700071, पश्चिम बंगाल
आईबीबीआई के पास पंजीकृत ई-मेल आईडी :info@sumedhamangement.com
प्रक्रिया विनिर्दिष्ट ई-मेल पता : ip.victorbuildwel@gmail.com
दिनांक : 02 जुलाई 2025 स्थान : कोलकाता

ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित छात्रों के लिए डीयू आयोजित करेगा विशेष परीक्षा

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने उन छात्रों के लिए एक विशेष अवसर की घोषणा की है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न स्थिति के कारण मई में अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं देने से चूक गए थे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टूटेजा ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024–25 में स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रभावित छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जो 13, 14 और 15 मई को अपनी परीक्षाएं देने से चूक गए थे। विश्वविद्यालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी संबंधित छात्रों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के लिए लिंक पर गूगल फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बृहस्पतिवार 10 जुलाई को रात 11.59 बजे तक है। विश्वविद्यालय ने इस आवेदन के लिए पात्रता के संबंध में स्पष्ट करते हुए बताया कि यह फॉर्म केवल उन छात्रों के लिए है जो परीक्षा तिथियों पर उपस्थित नहीं हो सके। इसने कहा कि फॉर्म भरने वाले छात्रों के लिए ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिससे पता चले कि वे दिल्ली नहीं पहुंच सके थे। परीक्षा नियंत्रक ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि छात्रों को ऐसी परिस्थितियों के लिए अकादमिक रूप से दंडित न किया जाए, जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। साथ ही, प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन सभी छात्रों को लाभ मिल सकता है, जिनकी शैक्षणिक प्रगति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न स्थिति के कारण बाधित हुई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी की सजा बरकरार रखी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में अपराध की गंभीरता को रेखांकित करते हुए एक व्यक्ति को दी गयी 10 साल की सजा को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने निचली अदालत के फैसले से सहमति जताई कि 20 वर्षीय युवक और 15 वर्षीय पीड़िता के बीच यौन संबंध सहमति से बने प्रतीत होते हैं, लेकिन मामला बलात्कार की श्रेणी में आएगा, क्योंकि घटना के समय वह (पीड़िता) नाबालिग थी। निचली अदालत के 2023 के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति महाजन ने व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की जेल की सजा को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 25 जून के फैसले में कहा कि व्यक्ति ने पीड़िता की उम्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

सजा के बिंदु पर उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता के पक्ष में कमज़ोर करने वाली परिस्थितियों- कम उम्र और पहली बार अपराध करने- पर पहले ही विचार कर लिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अपराध की गंभीरताए को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि 10 वर्ष की जेल की अवधि कानून में अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि है, तथा सुनाई गयी सजा इस घृणित अपराध के अनुरूप है। प्रारंभ में लड़की के पिता की शिकायत पर 2017 में समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी और तब से लापता है। करीब एक महीने बाद उसे हरियाणा के बल्लभगढ़ से आरोपियों के पास से बरामद किया गया। उसने आरोप लगाया कि वह स्कूल गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी व्यक्ति से हुई, जो उसका रिश्तेदार था, और वह उसे कालकाजी मंदिर ले गया तथा आश्वासन दिया कि वे दोपहर तक वापस आ जाएंगे। हालांकि, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह घर लौटने में देरी करता रहा और फिर उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उसे नशीली दवा मिली कोल्ड ड्रिंक दी, जिससे वह बेहोश हो गई तथा जगने पर खुद को निर्वस्त्र पाया। व्यक्ति ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले में अपनी बेगुनाही का दावा किया।

दिल्ली दंगे: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर को मंगलवार को सुनवाई करनी थी, लेकिन अभियोजन के समय मांगने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। आरोपी के वकील ने पहले अदालत को बताया था कि इमाम के भाषणों और व्हाट्सएप चैट में कभी भी अशांति फैलाने का आह्वान नहीं किया गया। जमानत याचिका में दावा किया गया है कि आरोपी 15 जनवरी, 2020 के बाद से राजधानी में भी नहीं था और उसे पुलिस ने 28 जनवरी, 2020 को एक अलग मामले में बिहार में उसके गृहनगर से गिरफ्तार किया था। याचिका में दावा किया गया है कि इमाम ने अन्य लोगों के साथ षड्यंत्र रचने के लिये हुई किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। खालिद, इमाम और कई अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर ₹मास्टरमाइंड₹ होने के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इमाम को इस मामले में 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी

अभियोग संख्या 220 दिनांक 19.06.25 धारा 127 (6) BNS थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी

गुमशुदा की पहचान

नाम अनील पुत्र महेश निवासी
अलावलपुर थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा
उम्र -30
कद - 5 फुट 8 इंच
हुलिया- रंग सावला, लम्बूतरा चेहरा, हस्ट पुस्ट कद 5.8 इंच दिनांक 04.06.2025 को अपने साथी सोनू उर्फ ओमप्रकास निवासी अलावलपुर के साथ धनबाद झारखण्ड चला गया था अनील पुत्र महेश निवासी अलावलपुर थाना धारूहेड़ा जिला रेवाडी हरियाणा पता न लगने बारे मे अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसका अभी तक सुराग नहीं चला है, यदि किसी थाना में किसी व्यक्ति को इस बारे सुचना प्राप्त होती तो निम्नलिखित नम्बरों पर सुचित करे सुचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
1. प्रबन्धक थाना धारूहेड़ा रेवाड़ी 7056666125
2. पुलिस कन्ट्रोल रूम रेवाड़ी 01274-242328, 9306952004
3. अनुसेधानकर्ता थाना धारूहेड़ा 9416578198

नए कानूनों से 'एफआईआर करेंगे तो क्या होगा' की जगह 'एफआईआर से तुरंत न्याय मिलेगा' का विश्वास बढ़ेगा

तीनों नए आपराधिक कानून न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे : शाह

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून सस्ती, सुलभ और पहुंच योग्य होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और पारदर्शी बनाएंगे। यह बातें मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में अआयोजित 'न्याय प्रणाली में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष' कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में प्रवेश करेगा और इससे से लोगों के मन में निश्चित रूप तुरंत न्याय मिलने का विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से 'एफआईआर करेंगे तो क्या होगा' की जगह 'एफआईआर से तुरंत न्याय मिलेगा' का विश्वास बढ़ेगा। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केन्द्रीय गृह सचिव और निदेशक, आसूचना ब्यूरो सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून आने वाले दिनों में भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आमूलचूल रूप से बदल देंगे। उन्होंने कहा कि पहले हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी को नहीं पता था कि न्याय कब मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 3 साल में इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद देशभर में किसी भी एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में नागरिकों को न्याय दिलाने के तीनों महत्वपूर्ण अंगों, पुलिस, प्रॉसीक्यूशन और ज्यूडिशयरी को कई जगह पर समय सीमा से बांधा गया है। शाह ने कहा कि नए कानूनों में 90 दिनों में जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने और चार्ज फ्रेम करने और जजमेंट देने का समय भी तय किया गया है।

नए कानून स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन : रेखा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य जनता को दंडित करना था। लेकिन अब भारत के कानून भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा और भारतीय दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, जहां सजा नहीं बल्कि न्याय प्राथमिक उद्देश्य है। इन नए कानूनों ने आम नागरिक में यह विश्वास पैदा किया है कि न्याय अब तेज़, पारदर्शी और सुलभ होगा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी

अभियोग संख्या 115 दिनांक 19.03.25 धारा 127 (6) BNS थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी

गुमशुदा की पहचान

नाम नीतू पत्नी जयप्रकाश निवासी
वार्ड न. 10 देवनगर धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा
उम्र 31
कद - 5 फुट 2 इंच
हुलिया- रंग सावला कद 5.2 ईंच
पहनावा- महरूम सूट सलवार पहने हुए दिनांक 16.03.2025 को
नीतू पत्नी जयप्रकाश निवासी
वार्ड न. 10 देवनगर धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा बिना किसी को बताये घर से चले जाने बारे अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसका अभी तक सुराग नहीं चला है, यदि किसी थाना में किसी व्यक्ति को इस बारे सुचना प्राप्त होती तो निम्नलिखित नम्बरों पर सुचित करे सुचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा
1. प्रबन्धक थाना धारूहेड़ा रेवाड़ी 7056666125
2. पुलिस कन्ट्रोल रूम रेवाड़ी 01274-242328, 9306952004
3. अनुसेधानकर्ता थाना धारूहेड़ा 9416578198

पीआरडीएच-1084/11/3577/2026/36109/88/7 दि. 01.07.2025